एनएचपीसी
NHPC

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एनएचपीसी लिमिटेड की सेफ़्टी नीति

SAFETY POLICY OF NHPC LIMITED

अस्वीकरण

सेफ़्टी नीति अंग्रेजी में तैयार की गई है और स्वीकृत की गई है जिसे बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी संस्करण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या प्रबल होगी।

Disclaimer

Safety Policy has been formulated and approved in English which has been subsequently translated into Hindi. In case of any ambiguity in Hindi version, the interpretation of English version will prevail.

प्रस्तावना

अधिकांश मानवीय गतिविधियों में जोखिम अंतर्निहित होता हैं और हमारा प्रयास कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं और मानवीय क्षति को रोकना है। इस उद्देश्य में हमारी सफलता, हमारी जागरूकता और संरचित तरीके से बनाए गए सुरक्षा उपायों के सावधानी पूर्वक पालन पर निर्भर करती है। इस दिशा में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए सार्थक प्रयास दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत मददगार साबित होंगे।

मुझे खुशी है कि सेफ़्टी विभाग "सेफ़्टी नीति" का पहला संस्करण प्रस्तुत करने जा रहा है। यह नीति कार्य के दौरान आने वाले खतरों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए आवश्यक प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावकारी प्रयास है। हमेशा से जोखिमों की रोकथाम जोखिमों से हिफाज़त से बेहतर होती है, और जोखिमों का उन्मूलन हमारी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। अधिकांशतः दुर्घटनाएं असुरक्षित कृत्यों या परिस्थितियों के कारण होती हैं, और इन्हें कुशल विवेक द्वारा रोका जा सकता है। हम सभी को हर समय हर कार्य को सुरक्षित करने की आदत को अपनाना चाहिए।

मुझे यकीन है कि यह नीति सभी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में संवेदनशील बनाने में मदद करेगी और हमारे कार्यस्थलों को महफूज़ और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।

(बलराज जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद

भूमिका

औद्योगिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी उद्योग द्वारा अपने सभी परिचालनों और क्रियाओं का प्रबंधन इस प्रकार करने से है, जिसके द्वारा खतरे, जोखिम और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करके अपने कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों, संपत्तियों और पर्यावरण को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। किसी भी कम्पनी में औद्योगिक सुरक्षा की नींव सुरक्षा के प्रति जागरूकता की व्यापक भावना में निहित है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता के रूप में देखते हैं, और हमेशा कार्यस्थल को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कम्पनी की ओर से एक लिखित प्रतिबद्धता उसके द्वारा सभी कर्मचारियों, श्रमिकों, ठेकदारों और आगंतुकों या और कोई अन्य व्यक्ति अथवा आसपास का वातावरण और पर्यावरण जो कि उसके व्यापार संचालन से प्रभावित हो सकता है, के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के जोखिम को कम करने या घटाने की दिशा में उसके दृष्टिकोण को चित्रित करती है।

सुरक्षा विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एनएचपीसी सुरक्षा नीति का पहला संस्करण, इस दिशा में एक सही कदम है। यह नीति एनएचपीसी के सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा वैधानिक आवश्यकताओं, कर्मचारियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन को रेखांकित करती है। यह नीति एनएचपीसी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों में एक सुरक्षित कार्य स्थल बनाने और अपने कर्मचारियों के बीच एक सुरक्षित परम्परा पैदा करने के लिए संगठनात्मक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए काम करेगी। मैं चाहता हूं कि निगम का हर कर्मचारी इसके प्रावधानों को पढ़े एवं एनएचपीसी को एक सुरक्षित एवं जोखिम रहित संस्थान बनाने के लिए यथा शक्ति प्रयास करे।

(जनार्दन चौधरी)
निदेशक (तकनीकी)

स्थान : फरीदाबाद

अभिस्वीकृति

सेफ़्टी विभाग ''सेफ़्टी नीति'' के मुद्रित संस्करण के साथ आया है जो संगठन के सभी स्थानों पर वैधानिक आवश्यकताओं, कर्तव्यों और सेफ़्टी मानकों के कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी है। यह नीति एनएचपीसी के निगम मुख्यालय, पावर स्टेशनों और परियोजनाओं के विभिन्न विभागों के सुझावों को शामिल करने के बाद तैयार की गई है।

सेफ़्टी नीति का यह लक्ष्य है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सभी कार्यस्थलों एवं उन लोगों को भी जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एनएचपीसी कार्यस्थलों या एनएचपीसी पावर स्टेशनों या पावर परियोजनाओं से जुड़े हैं को नगण्य खतरे की संभावना की उपलब्धि को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी।

अंत में, मैं निष्ठा से सेफ्टी विभाग और एनएचपीसी प्रबंधन को एनएचपीसी सेफ्टी नीति तैयार करने में उनके सम्पूर्ण हृदय से दिये गए समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ।

(किशोर कुमार)
महाप्रबंधक (सेफ़्टी)

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 10.04.2018

विषय सूची

पेज संख्या

I. एनएचपीसी कॉर्पोरेट सुरक्षा नीति की अंतर्वस्तु

1. प्रारंभिक सूचना 1
2. सांविधिक आवश्यकता 1
3. कंपनी की जिम्मेदारी 1
4. कार्यान्वयन की जिम्मेदारी 4
5. इकाई प्रमुख को शक्ति का प्रत्यायोजन 4

II. पावर स्टेशन की सुरक्षा नीति की अंतर्वस्तु

1. प्रारंभिक सूचना 5
2. सांविधिक आवश्यकता 5
3. अनुपालन की जिम्मेदारी 5
4. कार्यान्वयन की जिम्मेदारी 7
5. पावर स्टेशन प्रमुख से प्रतिबद्धता 8

III. निर्माणाधीन परियोजना की सुरक्षा नीति की अंतर्वस्तु

1. प्रारंभिक तैयारी 9
2. सांविधिक आवश्यकता 9
3. विद्युत परियोजना की जिम्मेदारी 9
4. कार्यान्वयन की जिम्मेदारी 11
5. परियोजना प्रमुख से प्रतिबद्धता 12

एनएचपीसी कॉर्पोरेट सेफ़्टी नीति

1.0 प्रारंभिक सूचना

एनएचपीसी की सेफ़्टी नीति, अपने सभी कार्यस्थलों में शून्य खतरे की संभावना के अपने लक्ष्य की प्राप्ति और एनएचपीसी पावर स्टेशन या पावर परियोजना कार्य स्थलों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्मिकों की सेफ़्टी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

इस सेफ़्टी नीति में दिए गए उपबंध एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों और उन व्यक्तियों पर, जो एनएचपीसी कार्य स्थलों में कार्य करते हैं या किसी भी तरीके से एनएचपीसी के साथ उनके द्वारा किए गए करार द्वारा विनियमित होते हैं, से जुड़े हुए हैं या हमारे साथ उनके द्वारा किए गए करारों द्वारा विनियमित होते हैं, पर बाध्यकारी है।

2.0 सांविधिक आवश्यकता

i) कंपनी अधिनियम, 1948 और राज्यों की कंपनी नियमावली – जहां एनएचपीसी पावर स्टेशन स्थित हैं, के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत पावर स्टेशन के प्रमुख सेफ़्टी नीति अपने–अपने पावर स्टेशनों पर यथालागू इसके उपबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है।

ii) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजना का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और केंद्रीय विनियमावली, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत, जहां उपबंधों के अनुपालन की मौलिक जिम्मेदारी ठेकेदारों की है, परंतु परियोजना प्रमुख भी अपनी सेफ़्टी नीति अधिसूचित करने और इसका कार्यान्वयन कराने के लिए जिम्मेदार हैं। परियोजना प्रमुख सेफ़्टी नीति के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

iii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण) नियमावली, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत, कानून के तहत कवर की गई विद्युत कंपनियों को भी कर्मचारियों की सेफ़्टी और स्वास्थ्य के संबंध में लिखित नीति का पालन करना होता है।

3.0 कंपनी की जिम्मेदारी

एनएचपीसी उन सभी को, जो एनएचपीसी पावर स्टेशन/परियोजनाओं के कारण प्रभावित हो सकते हैं, को सेफ़्टी, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में यथाव्यवहार्य सांविधिक उपबंधों का अनुपालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने की अपनी इच्छा और प्रतिबद्धता घोषित करता है। एनएचपीसी यथाव्यवहार्य "शून्य चोटों और शून्य क्षतियों" और पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्य से सभी प्रकार के खतरों का पता लगाने, उन्हें मॉनीटर करने तथा नियंत्रित करने के लिए सही भावना से वास्तविक प्रयास करेंगे। ये प्रयास निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे बल्कि निम्नलिखित रूप में निर्देशित करेंगे:

i) एनएचपीसी का कॉरपोरेट कार्यालय कंपनी अधिनियम, 1948, राज्य की कंपनी नियमावली (जहां स्टेशन स्थित हैं), भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 और केंद्रीय विनियमावली, 1998, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 या लागू होने वाली अन्य संविधि के उपबंधों के अनुसार सेफ़्टी मैनुअल, भंडार प्रचालन योजना, ओ एंड एम मैनुअल तैयार करेगा और आपातकालीन योजना/आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी), क्राइसिस और आपदा प्रबंधन योजना (सी एंड डीएमपी) और अन्य दस्तावेजीकरण तैयार करने में इकाइयों की सहायता करेगा।

ii) एनएचपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सेफ़्टी मैनुअल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुपालन में समय–समय पर अद्यतनीकृत किया जाएगा।

iii) एनएचपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सभी बाढ़ों, अग्नि और अन्य दुर्घटनाओं के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञानार्जन अनुभव कों सेफ़्टी मैनुअल में नियमितरूप से शामिल किए जाएंगे।

iv) एनएचपीसी संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद तथा कार्मिकों के चयन सहित सभी भावी निर्णयों में स्वास्थ्य एवं सेफ़्टी को समाकलित करेगा।

v) एनएचपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि विद्युत संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के दौरान सभी ज्ञात सेफ़्टी उपायों का ध्यान रखा गया है।

vi) एनएचपीसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि प्रचालन, अनुरक्षण और अन्य क्रियाकलापों से संबंधित सभी शर्तों और विषय–वस्तुओं की समीक्षा, विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, की जाएगी।

vii) एनएचपीसी राज्य कंपनी विनियमावली/भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजना का विनियमन एवं सेवा की शर्तें), केंद्रीय नियमावली सहित लागू होने वाले सांविधिक उपबंधों में उल्लिखित कम से कम शैक्षिक योग्यता और अनुभव वाले सेफ़्टी अधिकारी नियुक्त करेगा और जहां इकाइयों के लिए ये विनियमालियां वर्तमान में लागू नहीं हैं, ये इकाइयां श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों का अनुपालन करेंगी। पावर स्टेशन/परियोजना में सेफ़्टी अधिकारियों की संख्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अंतर्गत यथाविनिर्धारित प्रत्येक 1000 (या उसके भाग) कर्मकारों के लिए एक सेफ़्टी अधिकारी से कम नहीं होगा। जहां कहीं राज्य विनियमावली में सेफ़्टी अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति परिभाषित की गई है, हम इसका अनुपालन करेंगें। अनेक राज्य कंपनी नियमावलियों में यथाउल्लिखित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन में सेफ़्टी अधिकारी का पद विद्युत संयंत्र/परियोजना में तैनात अन्य विभाग प्रमुख से कम नहीं होगा। एनएचपीसी सेफ़्टी विभाग के अधिकारियों के प्रभावी कार्यचालन के लिए अवसंरचना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

viii) एनएचपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को शामिल करेगा और मानव जीवन/अंगों की सेफ़्टी के लिए कार्य करने हेतु स्वयं को शामिल करेगा और जहां उन्हें मानव जीवन और सामग्री की क्षति के बीच चयन करना हो, वे पहले मानव जीवन को प्राथमिकता देंगे और बाद में सामग्री की क्षति को। सेफ़्टी समिति के जरिए उनके शामिल होने की प्रशंसा की जाएगी।

ix) एनएचपीसी कार्य स्थल पर कार्यरत सभी कर्मकारों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए हों या किसी एजेंसी के जरिए, के बीच सेफ़्टी जागरूकता सृजित करने के लिए कार्य करने हेतु सलाह देगा।

x) एनएचपीसी विशेषज्ञ सलाह, आंतरिक या बाह्य विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराएगा, जहां कहीं संभावित खतरों की स्थितियां मौजूद हों या उत्पन्न हो सकती हों, जब कभी आवश्यक हों।

xi) एनएचपीसी अपेक्षित स्वास्थ्य और सेफ़्टी उपाय लागू करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय बजट उपलब्ध कराएगा।

xii) एनएचपीसी इकाइयों में सेफ़्टी, दुर्घटनाओं और चोटों, खतरनाक कार्यचालन स्थितियों और कार्यरत सभी कार्मिकों की सेफ़्टी और क्षति नियंत्रण के प्रति उनके द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ी सभी संबंधित सूचना संगृहीत करने के लिए सेफ़्टी प्रबंधन प्रणाली बनाएगा। एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय दुर्घटनाओं/चोटों, क्षति नियंत्रण पर आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और सुधारात्मक, उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई करने के लिए स्टेशनों/परियोजनाओं को सलाह देगा।

xiii) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय, कॉरपोरेट सेफ़्टी नीति समिति गठित करेगा, जो एनएचपीसी पावर संयंत्रों/परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की सेफ़्टी और स्वास्थ्य के सभी मुद्दों के संबंध में एनएचपीसी के बोर्ड को सलाह देगा। एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय सदस्यों के चयन/चुनाव के संबंध में संविधियों के अनुपालन में विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं में सुरक्षा समिति गठित करने के लिए भी विद्युत संयंत्र/परियोजनाओं को सलाह देगा।

xiv) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सेफ़्टी में सुधार करने के लिए विभिन्न इकाइयों के बीच एक प्रतियोगिता सृजित करने हेतु अंतर–परियोजना सुरक्षा पुरस्कार योजना आरंभ करेगा।

xv) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय या तो सांविधिक रूप से या अन्यथा उनके द्वारा नियुक्त किए गए या किराए पर रखे गए कर्मकारों की सेफ़्टी और स्वास्थ्य के संबंध में सभी उपबंधों का पालन करने के लिए ठेकेदारों को भी बाध्य करने हेतु संविदा की शर्तों में आवश्यक उपबंध करेगा।

xvi) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय लागू होने वाले सेफ़्टी प्रबंधन से संबंधित या भविष्य में लागू किए जाने वाले सभी सांविधिक उपबंधों का सही अर्थ में अनुपालन करने हेतु इकाइयों को सलाह देगा। एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय, कॉरपोरेट सेफ़्टी प्रमुख की जानकारी में यदि कभी कोई ढील पाई जाती है,तो समुचित परामर्श के जरिए इनका अनुपालन कराने हेतु अनुवर्तन करेगा और सलाह देगा।

xvii) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित के जरिए कार्य स्थल पर खतरों की पहचान और उनके नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा:

- कॉरपोरेट और संयंत्र स्तर पर सेफ़्टी समितियों के जरिए कर्मचारियों को शामिल करके, सेफ़्टी पदाधिकारियों सहित एनएचपीसी के अधिकारियों द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुसार एनएचपीसी के क्षेत्रीय या कॉरपोरेट कार्यालय, एनएचपीसी की अन्य इकाइयों के सेफ़्टी अधिकारियों के माध्यम से हर वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक सेफ़्टी ऑडिट करना।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुसार मान्यता प्राप्त सेफ़्टी ऑडिटर, जिसे विद्युत उद्योग के सेफ़्टी विभाग में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, के माध्मय से हर वर्ष में कम से कम एक बार बाह्य सेफ़्टी ऑडिट करना,
- कोई अन्य पद्धति, जो विशिष्ट मामले में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझी जाए।

xviii) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय अलग–अलग कार्य स्थलों पर नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एनएचपीसी के कार्य स्थलों में कार्यरत या उससे संबद्ध सभी व्यक्तियों को सेफ़्टी प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण या तो क्लास रूम में या कार्य स्थल पर, या दोनों के जरिए अपने कार्य क्षेत्रों से चोटों या क्षतियों को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों के साथ–साथ कार्य स्थल संबंधी खतरे संसूचित करने के लिए संसूचन के सभी व्यावहारिक साधन नियोजित करने व उपयोग करने हेतू इकाइयों को सलाह देगा।

xix) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय विधायी उपबंधों के अनुसार भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपेक्षित व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराएगा और उनके उचित इस्तेमाल को बढ़ावा देगा/बढ़ावा देने के लिए सहमत करेगा। इसके अनुपालन हेतु ठेकेदार को भी बाध्य करने के लिए संविदा की शर्तों में आवश्यक उपबंध करेगा।

xx) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय उनके कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्रियों, उपकरण या प्रक्रियाओं, जो स्वास्थ्य या सेफ़्टी के लिए संभावित रूप से खतरनाक होने के लिए ज्ञात हैं, के बारे में कर्मचारियों को सूचित करेगा। खतरनाक कार्य स्थलों की उचित पहचान और सीमांकन सुनिश्चित करेगा और नियंत्रण उपाय अपनाएगा जैसे चेतावनी के साइन बोर्डों, निर्गमन मार्गों, असेम्बली पॉइंटों, आपातकालीन नंबरों, फ्लो चार्टों, एक्शन फ्लो चार्टों, क्या करें क्या न करें के चार्टों आदि का उचित प्रदर्शन।

xxi) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय प्राप्त किए गए या आवश्यक अनुभव के आधार पर, समय–समय पर पर्यवेक्षण के स्तर की समीक्षा और सेफ़्टी के संबंध में सुरक्षा से विशेष संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित पर्यवेक्षण उपलब्ध कराने के लिए इकाइयों को सलाह देगा।

xxii) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय कार्य स्थल पर चोटों और बीमारी के चिकित्सीय उपचार के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध करने हेतू इकाइयों को सलाह देगा।

xxiii) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय कम से कम कानून के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित अग्नि रोकथाम और अग्निशमन उपकरण तथा सेवाएं उपलब्ध करने हेतू इकाइयों को सलाह देगा।

xxiv) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में सृजित किए गए समुचित मंचों के जरिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी मामलों पर कर्मचारियों से परामर्श करने हेतु इकाइयों को सलाह देगा।

xxv) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय भिन्न–भिन्न क्रियाकलापों के लिए सुरक्षा विनियमावली तैयार करने के लिए इकाइयों को सलाह देगा।

xxvi) एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय, उनकी सूचना के लिए शीर्षस्थ प्रबंधन को आगे संसूचन हेतु कॉरपोरेट सुरक्षा विभाग को स्वास्थ्य एवं सेफ़्टी कार्य–निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इकाइयों को सलाह देगा।

4.0 कार्यान्वयन की जिम्मेदारी

i) सेफ़्टी और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी पावर स्टेशन/परियोजना स्तर पर पावर स्टेशन/परियोजना प्रमुख की होगी। फैक्टरी एक्ट 1948 के अनुसार, पावर स्टेशन प्रमुख अपने पावर स्टेशन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिष्ठाता घोषित है या ऐसी घोषणा तक प्लांट (फैक्टरी) के कार्यों पर उसका अंत्य नियंत्रण होगा।

ii) सेफ़्टी अधिकारी, राज्य कंपनी नियमावली/सेफ़्टी अधिकारी नियमावली या क्रियाकलाप के लिए यथालागू किसी अन्य सांविधिक उपबंधों में यथाउल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेगा। स्टेशन का सेफ़्टी प्रमुख स्टेशन/परियोजना प्रमुख के प्रति प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार होगा, परंतु कार्यात्मक रूप से कॉरपोरेट सेफ़्टी प्रभाग के कॉरपोरेट प्रमुख के प्रति जिम्मेदार होगा।

iii) विभाग के स्तर पर, सेफ़्टी की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी। सभी अधिकारी और पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सेफ़्टी के लिए जिम्मेदार होंगे। साफ–साफ और सुस्पष्ट सेफ़्टी निर्देश जारी करना, सेफ़्टी के संबंध में उनके कार्यचालन का पर्यवेक्षण करना, जो उनकी और कार्य स्थल पर कार्यरत अन्य व्यक्तियों की सेफ़्टी के लिए आवश्यक हों, उनकी जिम्मेदारी है।

iv) विशिष्ट कार्य संचालन क्रियाकलाप (जैसे बिजली के उपकरण पर, हॉट कार्य क्षेत्र में कार्य करना, सीमित कार्य क्षेत्र में कार्य करना, ऊंचाई पर कार्य करना, संदूषित/विस्फोटक क्षेत्र में या किसी अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में कार्य करना) में प्राधिकृत कार्यकारी/अधिकारी, एनएचपीसी की विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वहां कार्य करने के लिए परमिट प्राप्त करेगा (जिसे परमिट टू वर्क भी कहते हैं)। परमिट में निर्धारित सभी शर्तों का पालन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

v) कर्मचारी, सेफ़्टी नियमावली/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने नियंत्रण अधिकारी या सेफ़्टी अधिकारी को संभावित खतरे की सूचना देनी चाहिए, यदि ये उनकी जानकारी में आते हैं। उन्हें आवश्यक रूप से (हर हालत में) एनएचपीसी या नियोजन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें स्वच्छ हालत में रखना चाहिए। वे विशिष्ट सेफ़्टी प्रशिक्षण की अपनी आवश्यकता बता सकते हैं । उन्हें चोट संबंधी रोकथाम और क्षति नियंत्रण के उसके प्रयासों में एनएचपीसी प्रबंधन को सलाह देनी चाहिए/उसका सहयोग करना चाहिए।

vi) कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की चोट या नियर–मिस की सूचना प्रबंधन को दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चोटग्रस्त व्यक्ति को प्रथमोपचार उपलब्ध कराया जाए, चाहे चोट का स्तर कुछ भी हो।

5.0 इकाई प्रमुख को शक्ति का प्रत्यायोजन

स्टेशन प्रमुख को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी और उन्हें कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना की रोकथाम करने के लिए सर्वोत्तम सहायता, वित्तीय, तकनीकी या अन्यथा उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा।

****

पावर स्टेशन की सेफ़्टी नीति

यह सेफ़्टी नीति पावर स्टेशनों के सभी कार्य क्षेत्रों पर लागू होती है।

1.0 प्रारंभिक सूचना

यह सेफ़्टी नीति, अपने सभी पावर स्टेशनों के क्रियाकलापों में शून्य खतरे की संभावना के अपने लक्ष्य की प्राप्ति और इस पावर स्टेशन की विनिर्माण प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्मिकों की सेफ़्टी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

यह नीति इस पावर स्टेशन में कार्यरत हमारे सभी कर्मचारियों और उन व्यक्तियों पर, जो किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे साथ उनके द्वारा किए गए करारों द्वारा विनियमित होते हैं, बाध्यकारी है।

2.0 सांविधिक आवश्यकता

i) कंपनी अधिनियम, 1948 और राज्यों की कंपनी नियमावली, कंपनी अधिष्ठाता नियम और नियमावली के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अधिष्ठाता अपनी सेफ़्टी नीति अधिसूचित करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।

ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण) नियमावली, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत विद्युत संबंधी जनोपयोगी सेवाओं के लिए भी कर्मचारियों की सेफ़्टी और स्वास्थ्य के संबंध में लिखित नीति तैयार करनी होती है।

iii) सरकार इस संबंध में भविष्य में अन्य कानून लागू कर सकती है।

3.0 अनुपालन की जिम्मेदारी

पावर स्टेशन, "शून्य चोटों और शून्य क्षतियों" के उद्देश्य से इस प्रकार के संभावित खतरों की पहचान करने, उन्हें मॉनीटर करने तथा नियंत्रित करने के लिए सही भावना से वास्तविक प्रयास करेंगे। ये प्रयास निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे बल्कि निम्नलिखित रूप में निर्देशित करेंगेः

i) कंपनी अधिनियम, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 या किसी अन्य संविधि, जो प्रवृत्त हो, के उपबंधों के अनुसार डाउनस्ट्रीम रिलीज और अन्य दस्तावेजीकरण के लिए आपातकालीन योजना/आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी), क्राइसिस और आपदा प्रबंधन योजना (सी एंड डीएमपी), गुणवत्ता प्रणाली प्रक्रिया (क्यूएसपी) तैयार करेगा।

ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सुरक्षा मैनुअल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुपालन में समय–समय पर अद्यतनीकृत किया जाएगा।

iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सभी बाढ़ों, अग्नि और अन्य दुर्घटनाओं के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञानार्जन अनुभव, सेफ़्टी मैनुअल में नियमित रूप से शामिल किए जाएंगे।

iv) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद तथा कार्मिकों के चयन सहित सभी भावी निर्णयों में स्वास्थ्य एवं सेफ़्टी को समाकलित करने के लिए कॉरपोरेट मुख्यालय के साथ मामला उठाएगा।

v) यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत संयंत्र के प्रचालन और अनुरक्षण के दौरान ज्ञान सेफ़्टी उपायों का ध्यान रखा गया है।

vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि प्रचालन, अनुरक्षण और अन्य क्रियाकलापों से संबंधित सभी शर्तों और विषय–वस्तुओं की समीक्षा, विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करते हुए की जाएगी।

vii) वर्तमान में लागू या भविष्य में लागू की जाने वाली सभी सांविधिक उपबंधों का उनके सही अर्थ में अनुपालन करेगा।

viii) कम से कम राज्य की कंपनी नियमावली में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव वाले सेफ़्टी अधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए कॉरपोरेट सेंटर के साथ मामला आगे बढ़ाएगा। सेफ़्टी अधिकारियों की संख्या, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुपालन में प्रत्येक 1000 कार्य बल या उसके भाग के लिए एक सेफ़्टी अधिकारी से कम नहीं होगी। मुख्य सेफ़्टी अधिकारी का पद अन्य विभाग प्रमुखों के समतुल्य होगा।

ix) पावर स्टेशन में सेफ़्टी समिति गठित करेगा, जिसमें इसका अध्यक्ष मुख्य अभियंता होगा, सेफ़्टी विभाग का प्रमुख इसका सचिव होगा और प्रचालन (जहां प्रचालन, अनुरक्षण, खरीद, चिकित्सा और मानव संसाधन विभाग के प्रतिनिधि भी होंगे) तथा कामगारों के प्रतिनिधियों की समान सहभागिता होगी।

x) अपने सभी कर्मचारियों को सलाह देगा कि वे मानव जीवन/अंग की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करेंगे, जहां उन्हें मानव जीवन और सामग्री की क्षति के बीच चयन करना हो।

xi) कार्य स्थल पर कार्यरत सभी कामगारों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता बनाए रखने हेतु वास्तविक प्रयास करेगा।

xii) आंतरिक और बाह्य विशेषज्ञोंसे सलाह प्राप्त करेगा, जहां कहीं संभावित खतरनाक स्थितियां मौजूद हों या उत्पन्न हो सकती हैं।

xiii) अपेक्षित स्वास्थ्य और सेफ़्टी उपाय लागू करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय बजट उपलब्ध कराएगा।

xiv) कॉरपोरेट सेफ़्टी प्रबंधन प्रणाली का अनुपालन करेगा और सेफ़्टी, दुर्घटनाओं और चोटों, खतरनाक प्रचालन स्थितियों तथा सभी कार्यरत कार्मिकों की सेफ़्टी और क्षति नियंत्रण के प्रति हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित सूचना भेजेगा। सुधारात्मक, उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से दुर्घटना/चोटों, क्षति नियंत्रण और उपचारात्मक उपायों पर आंकड़े संगृहीत करेगा, उनका विश्लेषण करेगा और प्रस्तुत करेगा।

xv) एनएचपीसी सेफ़्टी नियमावली/मैनुअल के अनुसार या तो सांविधिक रूप से या अन्यथा ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए/किराए पर रखे गए कर्मकारों की सेफ़्टी के संबंध में सभी शर्तें पूरी करने और एनएचपीसी की स्वास्थ्य एवं सेफ़्टी नीति का अनुपालन करने के लिए ठेकेदारों को बाध्य करने हेतु संविदा की शर्तों में आवश्यक उपबंध करेगा।

xvi) निम्नलिखित के जरिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सेफ़्टी का आवधिक मूल्यांकन, खतरों की पहचान और उनके नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित करेगा:

- संयंत्र और विभाग स्तर पर सेफ़्टी समितियों के माध्यम से कर्मचारियों को शामिल करके सेफ़्टी पदाधिकारियों सहित एनएचपीसी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आदि,
- यदि प्रबंधन द्वारा आवश्यक समझा जाए, विद्युत संयंत्रों की सेफ़्टी के लिए कार्यचालन के पर्याप्त अनुभव वाले सेफ़्टी विशेषज्ञों के जरिए विशेष जांच।
- यदि प्रबंधन द्वारा आवश्यक समझा जाए, विशेष अध्ययन करना जैसे रिस्क एनालिसिस, जॉब सेफ़्टी एनालिसिस और अन्य, जो उचित समझे जाएं।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुसार अन्य एनएचपीसी इकाइयों, एनएचपीसी के क्षेत्रीय या कॉरपोरेट कार्यालय के सेफ़्टी अधिकारियों के माध्यम से हर वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक सेफ़्टी ऑडिट करना
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुसार मान्यता प्राप्त सेफ़्टी ऑडिटर , जिसे विद्युत उद्योग के सेफ़्टी विभाग में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, के माध्मय से हर वर्ष में कम से कम एक बार बाह्य सेफ़्टी ऑडिट करना,

- कोई अन्य पद्धति, जो विशिष्ट मामले में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझी जाए।

xvii) अलग–अलग कार्य स्थल पर नियोजित कामगारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एनएचपीसी के पावर स्टेशन पर कार्यरत या उससे संबद्ध सभी व्यक्तियों को सेफ़्टी प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण या तो क्लास रूम में या कार्य स्थल पर, या दोनों के जरिए अपने कार्य क्षेत्रों से चोटों या क्षतियों से रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों के साथ–साथ कार्य स्थल संबंधी खतरे संसूचित करने के लिए संसूचन के सभी व्यावहारिक साधन अभिनियोजित करेगा।

xviii) विधायी उपबंधों के अनुसार भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपेक्षित व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराएगा और उनके उचित इस्तेमाल को बढ़ावा देगा/बढ़ावा देने के लिए सहमत करेगा। इसके अनुपालन हेतु ठेकेदार को भी बाध्य करने के लिए संविदा की शर्तों में आवश्यक उपबंध करेगा।

xix) उनके कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्रियों, उपकरण या प्रक्रियाओं, जो स्वास्थ्य या सेफ़्टी के लिए संभावित रूप से खतरनाक होने के लिए ज्ञात हैं, के बारे में कर्मचारियों को सूचित करेगा। खतरनाक कार्य स्थलों की उचित पहचान और सीमांकन सुनिश्चित करेगा और नियंत्रण उपाय अपनाएगा जैसे चेतावनी के साइन बोर्डों, निर्गमन मार्गों, असेम्बली पॉइंटों, आपातकालीन नंबरों, फ्लो चार्टों, एक्शन फ्लो चार्टों, क्या करें क्या न करें के चार्टों आदि का उचित प्रदर्शन।

xx) अपने सभी क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित पर्यवेक्षण उपलब्ध कराएगा और प्राप्त हुए अनुभव या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर समय–समय पर पर्यवेक्षण के स्तर की समीक्षा करेगा।

xxi) कार्य स्थल पर चोटों और बीमारी के चिकित्सीय उपचार के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

xii) कार्य स्थलों पर कम से कम कानून के अंतर्गत उल्लिखित सभी अपेक्षित अग्नि रोकथाम और अग्निशमन उपकरण तथा सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

xxiii) संयंत्र सेफ़्टी समिति और वहाँ पर सृजित अन्य मंचों के माध्यम से स्वास्थ्य और सेफ़्टी के सभी मामलों पर अपने कर्मचारियों से परामर्श करेगा।

xxiv) हमारे भिन्न–भिन्न क्रियाकलापों के लिए सुरक्षा विनियमावली तैयार करेगा और उनका अनुपालन करेगा।

4.0 कार्यान्वयन की जिम्मेदारी

i) सेफ़्टी और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी पावर स्टेशन स्तर पर पावर स्टेशन प्रमुख की होगी। फैक्टरी एक्ट 1948 के अनुसार,पावर स्टेशन प्रमुख अपने पावर स्टेशन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिष्ठाता घोषित है या ऐसी घोषणा तक प्लांट (फैक्टरी) के कार्यों पर उसका अंत्य नियंत्रण होगा।

ii) सेफ़्टी अधिकारी, राज्य कंपनी नियमावली/सुरक्षा अधिकारी नियमावली में यथा उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेगा। स्टेशन का सेफ़्टी प्रमुख पावर स्टेशन प्रमुख को रिपोर्ट करेगा, परंतु कार्यात्मक रूप से कॉरपोरेट सेफ़्टी प्रभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करेगा।

iii) विभाग के स्तर पर, सेफ़्टी की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी। सभी अधिकारी और पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सेफ़्टी के लिए जिम्मेदार होंगे। साफ–साफ और सुस्पष्ट सेफ़्टी निर्देश जारी करना, सेफ़्टी के संबंध में उनके कार्यचालन का पर्यवेक्षण करना, जो उनकी और कार्य स्थल पर कार्यरत अन्य व्यक्तियों की सेफ़्टी के लिए आवश्यक हों, उनकी जिम्मेदारी है।

iv) विशिष्ट कार्यचालन क्रियाकलाप (जैसे बिजली के उपकरण पर, हॉट कार्य क्षेत्र में कार्य करना, सिमित कार्य क्षेत्र में कार्य करना, ऊंचाई पर कार्य करना, संदूषित/विस्फोटक क्षेत्रोंमेंया किसी अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में कार्य करना) में प्राधिकृत कार्यकारी/अधिकारी, एनएचपीसी की विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वहां कार्य करने के लिए परमिट प्राप्त करेगा। परमिट मे निर्धारित सभी शर्तो का पालन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

v) कर्मचारी, सेफ़्टी नियमावली/निर्देशों में दिए गए उपबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें अपने नियंत्रण अधिकारी या सेफ़्टी अधिकारी को संभावित खतरे की सूचना देनी चाहिए, यदि ये उनकी जानकारी में आते हैं। उन्हें आवश्यक रूप से (हर हालत में) स्टेशन प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तिगत संरक्षात्मक कपड़ों, संरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें स्वच्छ हालत में रखना चाहिए। वे विशिष्ट सेफ़्टी प्रशिक्षण की अपनी आवश्यकता बता सकते हैं। उन्हें चोट संबंधी रोकथाम और क्षति नियंत्रण के उसके प्रयासों में स्टेशन प्रबंधन को सलाह देनी चाहिए/उसका सहयोग करना चाहिए।

vi) कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को किसी प्रकार की चोट की सूचना दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चोटग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाए।

5.0 पावर स्टेशन प्रमुख से प्रतिबद्धता

पावर स्टेशन प्रमुख, जो अधिष्ठता भी होगा, यथा व्यवहार्य कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना की रोकथाम करने के लिए सर्वोत्तम सहायता, वित्तीय, तकनीकी या अन्यथा उपलब्ध कराएगा।

****

निर्माणाधीन परियोजना की सेफ़्टी नीति

यह सेफ़्टी नीति निर्माणाधीन परियोजना के सभी कार्य क्षेत्रों पर लागू होती है।

1.0 प्रारंभिक तैयारी

यह सेफ़्टी नीति, अपने सभी पावर स्टेशनों के क्रियाकलापों में शून्य खतरे की संभावना के अपने लक्ष्य की प्राप्ति और हमारे क्रियाकलापों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्मिकों की सेफ़्टी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

यह परियोजना में कार्यरत हमारे सभी कर्मचारियों या उन व्यक्तियों पर, जो किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या परियोजना के साथ उनके द्वारा किए गए करारों द्वारा विनियमित होते हैं।

2.0 सांविधिक आवश्यकताएँ

i) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 और केंद्रीय नियमावली, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत परियोजना प्रमुख और निर्माण स्थल ठेकेदार प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वह सेफ़्टी नीति अधिसूचित करे।

ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण) नियमावली, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत विद्युत संबंधी जनोपयोगी सेवाओं के लिए भी कर्मचारियों की सेफ़्टी और स्वास्थ्य के संबंध में लिखित नीति तैयार करना होता है।

iii) कंपनी अधिनियम के सांविधिक उपबंध शामिल किए जाएं क्योंकि कार्यशालाएं विनिर्माण प्रक्रिया का भाग हैं, जिसका अर्थ "कंपनीअधिनियम, 1948 की धारा 2(ट) इसका इस्तेमाल करने, बेचने, परिवहन करने, सुपुर्द या निपटान करने की दृष्टि से किसी वस्तु या पदार्थ को बनाने, बदलने, मरम्मत करने, सुसज्जित करने, तैयार करने, पैकिंग करने, आयोजन करने, धुलाई, सफाई करने, अलग–अलग करने, तोड़ने या अन्यथा संसाधित करने या अनुकूलन करने की कोई प्रक्रिया है।

iv) सरकार इस संबंध में भविष्य में अन्य कानून लागू कर सकती है।

3.0 विद्युत परियोजना की जिम्मेदारी

परियोजना प्रबंधन "शून्य चोटों और शून्य क्षतियों" के उद्देश्य से इस प्रकार के संभावित खतरों की पहचान करने, उन्हें मॉनीटर करने तथा नियंत्रित करने के लिए सही भावना से वास्तविक प्रयास करेंगे। ये प्रयास निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे बल्कि निम्नलिखित रूप में निर्देशित करेंगे:

i) कारखाना अधिनियम, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) नियमावली, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 या किसी अन्य संविधि सहित सांविधिक उपबंधों के अनुसार क्राइसिस और आपदा प्रबंध योजना (सी–डीएमपी) और अन्य प्रलेखन तैयार करेगा।

ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सेफ़्टी मैनुअल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुपालन में समय–समय पर अद्यतनीकृत किया जाएगा।

iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सभी बाढ़ों, अग्नि और अन्य दुर्घटनाओं के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञानार्जन अनुभव, सेफ़्टी मैनुअल में नियमितरूप से शामिल किए जाएंगे।

iv) यथालागू सभी सांविधिक उपबंधों, एनएचपीसी सेफ़्टी नियमावली, परियोजना सेफ़्टी मैनुअल के उपबंधों को सभी ठेकेदारों के बीच लागू करेगा।

v) सभी ठेकेदारों को यह सलाह देगा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएं कि संयंत्रों, मशीनरी और उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में सुरक्षा कारकों का ध्यान रखा जाए।

vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि प्रचालन, अनुरक्षण और अन्य क्रियाकलापों से संबंधित सभी शर्तों और विषय–वस्तुओं की समीक्षा, विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करते हुए की जाएगी।

vii) परियोजना में वर्तमान में लागू या भविष्य में लागू की जाने वाली सभी सांविधिक उपबंधों का उनके सही अर्थ में अनुपालन करेगा।

viii) लागू होने वाली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) केंद्रीय विनियमावली में उल्लिखित कम से कम शैक्षिक योग्यता और अनुभव वाले सेफ़्टी अधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए कॉरपोरेट सेंटर के साथ मामला आगे बढ़ाएगा। सेफ़्टी अधिकारियों की संख्या, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुपालन में प्रत्येक 1000 कार्य बल (ठेकेदारों के कार्य बल सहित) या उसके भाग के लिए एक सेफ़्टी अधिकारी से कम नहीं होगी। मुख्य सेफ़्टी अधिकारी का पद अन्य विभाग प्रमुखों के समतुल्य होगा।

ix) अपने सभी कर्मचारियों को सलाह देगा कि वे मानव जीवन/अंगों की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करेंगे, जहां उन्हें मानव जीवन और सामग्री की क्षति के बीच चयन करना हो।

x) कार्य स्थल पर कार्यरत सभी कर्मकारों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के बीच सेफ़्टी जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वास्तविक प्रयास करेगा।

xi) अपेक्षित स्वास्थ्य और सेफ़्टी उपाय लागू करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय बजट उपलब्ध कराएगा।

xii) कॉरपोरेट सेफ़्टी प्रबंधन प्रणाली का अनुपालन करेगा और सेफ़्टी, दुर्घटनाओं और चोटों, खतरनाक प्रचालन स्थितियों तथा सभी कार्यरत कार्मिकों की सेफ़्टी और क्षति नियंत्रण के प्रति हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित सूचना भेजेगा।

xiii) एनएचपीसी सेफ़्टी नियमावली या परियोजना के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी किए गए निर्देशों के अनुसार या तो सांविधिक रूप से या अन्यथा ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए/किराए पर रखे गए कर्मकारों की सेफ़्टी के संबंध में ठेकेदारों को परियोजना सेफ़्टी नीति के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु संविदा की शर्तों में आवश्यक उपबंध करने के लिए कॉरपोरेट केंद्र के साथ मामला उठाएगा।

xiv) निम्नलिखित के जरिए कार्यस्थल पर खतरों की पहचान और उनके नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित करेगा:

- परियोजना में कार्यरत सेफ़्टी पदाधिकारियों सहित एनएचपीसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण।
- यदि प्रबंधन द्वारा आवश्यक समझा जाए, विद्युत संयंत्रों की सेफ़्टी के लिए कार्यचालन के पर्याप्त अनुभव वाले सेफ़्टी विशेषज्ञों के जरिए विशेष जांच।
- विशेष अध्ययन करना जैसे रिस्क एनालिसिस, जॉब सेफ़्टी एनालिसिस और अन्य, जो उचित समझे जाएं।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुसार अन्य एनएचपीसी इकाइयों, एनएचपीसी के क्षेत्रीय या कॉरपोरेट कार्यालय के सेफ़्टी अधिकारियों के माध्यम से हर वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक सेफ़्टी ऑडिट करना।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुसार मान्यता प्राप्त सेफ़्टी ऑडिटर, जिसे विद्युत उद्योग के सेफ़्टी विभाग में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, के माध्मय से हर वर्ष में कम से कम एक बार बाह्य सेफ़्टी ऑडिट करना।
- कोई अन्य पद्धति, जो विशिष्ट मामले में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझी जाए।

xv) परियोजना स्थल में कार्यरत या उससे जुड़े कर्मकारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एनएचपीसी के पावर स्टेशन पर कार्यरत या उससे संबद्ध सभी व्यक्तियों को सेफ़्टी प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण या तो क्लास रूम में या कार्य स्थल पर, या दोनों के जरिए अपने कार्य क्षेत्रों से चोटों या क्षतियों को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों के साथ–साथ कार्य स्थल संबंधी खतरे संसूचित करने के लिए संसूचन के सभी व्यावहारिक साधन अभिनियोजित करेगा।

xvi) विधायी उपबंधों के अनुसार भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपेक्षित व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराएगा और ठेकेदारों को भी बाध्य करेगा कि वे इन्हें उपलब्ध कराएं। उनके उचित इस्तेमाल के लिए को बढ़ावा देगा/सभी संबंधितों को सहमत करेगा। इसके अनुपालन हेतु ठेकेदार को भी बाध्य करने के लिए संविदा की शर्तों में आवश्यक उपबंध करेगा।

xvii) उनके कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्रियों, उपकरण या प्रक्रियाओं, जो स्वास्थ्य या सेफ़्टी के लिए संभावित रूप से खतरनाक होने के लिए ज्ञात हैं, के बारे में कर्मचारियों को सूचित करेगा। खतरनाक कार्य स्थलों की उचित पहचान और सीमांकन सुनिश्चित करेगा और नियंत्रण उपाय अपनाएगा जैसे चेतावनी के साइन बोर्डों, निर्गमन मार्गों, असेम्बली पॉइंटों, आपातकालीन नंबरों, फ्लो–चार्टों, एक्शन फ्लो–चार्टों, क्या करें क्या न करें के चार्टों आदि का उचित प्रदर्शन।

xviii) परियोजना में चोटों और बीमारी के चिकित्सीय उपचार के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

xix) कम से कम कानून के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित अग्नि रोकथाम और अग्निशमन उपकरण तथा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार को निर्देश देगा कि वह कानून के अनुसार अग्निशमन उपकरण, सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराए।

xx) संयंत्र सेफ़्टी समिति और हमारे द्वारा सृजित अन्य मंचों के माध्यम से स्वास्थ्य और सेफ़्टी के सभी मामलों पर अपने कर्मचारियों से परामर्श करेगा। सेफ़्टी समिति में कर्मकारों, ठेकेदारों और प्रबंधन के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे। परियोजना का एक वरिष्ठ अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होगा और परियोजना सुरक्षा प्रमुख इसका सचिव होगा।

4.0 कार्यान्वयन की जिम्मेदारी

i) परियोजना की सेफ़्टी और स्वास्थ्य के प्रबंधन की प्रधान जिम्मेदारी उन ठेकेदारों की होगी, जिन्हें परियोजना के निर्माण और इरेक्शन का ठेका दिया गया है।

ii) परियोजना प्रमुख,इस परियोजना में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा सेफ़्टी उपबंधों के अनुपालन को मॉनीटरन करने के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि वे भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजना का विनियमन एवं कार्य की शर्तें) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली तथा एनएचपीसी सेफ़्टी नियमावली/सेफ़्टी मैनुअल के उपबंधों का अनुपालन करें।

iii) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं कार्य की शर्तें) अधिनियम/नियमावली और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए शर्तें) विनियमावली, 2011 के अनुपालन में परियोजना में सेफ़्टी अधिकारी नियोजित करेगा और वे भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं कार्य की शर्तें) केंद्रीय नियमावली, 1998 में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेगा। स्टेशन का सेफ़्टी प्रमुख परियोजना प्रमुख को रिपोर्ट करेगा और कार्यात्मक रूप से सेफ़्टी विभाग के कॉरपोरेट प्रमुख के प्रति जिम्मेदार होगा।

iv) विभाग के स्तर पर परियोजना में सेफ़्टी की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख और संबंधित पर्यवेक्षकों की होगी। ठेकेदार अपने कार्य स्थलों पर सेफ़्टी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

v) ठेकेदार सभी सांविधिक उपबंधों और एनएचपीसी सेफ़्टी नियमावली/निर्देशों/सेफ़्टी मैनुअल का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे

vi) इस कार्य स्थल पर कार्यरत सभी व्यक्तियों द्वारा संभावित खतरे की सूचना दी जानी चाहिए, यदि ये उनके जानकारी में आते हैं। सभी व्यक्तियों को परियोजना या ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तिगत संरक्षात्मक कपड़ों/संरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें स्वच्छ स्थिति में बनाए रखना चाहिए।

vii) कर्मचारियों, चाहे वे परियोजना के हों या ठेकेदारों के, द्वारा प्रबंधन को किसी भी प्रकार की चोट या निकटता से होने वाली दुर्घटना सूचित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चोटग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाए, चाहे उस चोट का स्तर कुछ भी हो।

5.0 परियोजना प्रमुख से प्रतिबद्धता

संविदा की शर्तों के अनुसार परियोजना प्रमुख यथाव्यवहार्य कार्य स्थल पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी व्यवहार्य सहायता उपलब्ध कराएगा।

****

Overview of NHPC Limited

NHPC Limited, a Govt. of India Enterprise, was incorporated in the year 1975 with an authorised share capital of Rs.2,000 million and with an objective to plan, promote and organise an integrated and efficient development of hydroelectric power in all aspects. Later on, NHPC expanded its objects to include development of power in all its aspects through conventional and non-conventional sources in India and abroad.

At present, NHPC is a Mini Ratna Category-I Enterprise of the Govt. of India with an authorised share capital of Rs.1,50,000 Million. NHPC is ranked as a premier organization in the country for development of hydropower.

Initially, on incorporation, NHPC took over the execution of Salal Stage-I, Bairasiul and Loktak Hydroelectric Projects from Central Hydroelectric Project Construction and Control Board. Since then, it has executed 20 projects with an installed capacity of 6507 MW on ownership basis including projects executed by NHDC Limited, a Subsidiary Company of NHPC Limited. NHPC has also executed 5 projects with an installed capacity of 89.25 MW on turnkey basis. Two of these projects have been commissioned in neighbouring countries i.e. Nepal and Bhutan.

Presently NHPC is engaged in the construction of 5 projects aggregating to a total installed capacity of 4290 MW including 1000 MW (Pakal Dul HE Project) being executed through JV Company. 10 projects of 7151 MW are awaiting clearances / Govt. approval for their implementation including 3 Projects of 1186 MW to be executed through Subsidiary/ Joint Venture Companies.

Follow NHPC at :

https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited https://twitter.com/nhpcltd https://www.instagram.com/nhpclimited

50 MW Solar PV Project - Tamil Nadu

NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

Regd. Office: NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad – 121003 (Haryana)
CIN : L40101HR1975GOI032564
Website: www.nhpcindia.com; E-mail: webmaster@nhpc.nic.in;
Fax: 0129-2277941; EPABX No. 0129-2588110/2588500